न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–72/2019 (GCMS No. 2019/00075) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शिवसिंह आयु 29 साल } पुत्रान पतराम
2. रामपाल आयु 26 साल }

3. सुआबाई वेवा पतराम आयु 53 साल } पुत्रान गुलकन्दी
4. रामप्रसाद आयु 48 साल }
5. हल्के आयु 43 साल }

6. बत्तीलाल आयु 38 साल } पुत्रान बिस्पतिया
7. अमृतलाल आयु 33 साल }
8. भरतलाल आयु 30 साल }
9. नरसी आयु 23 साल }

10. रूपाबाई वेवा बिस्पतिया आयु 63 साल

जातियान जाटव
निवासियान कोंडर
तहसील व जिला करौली

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सियाराम पुत्र भूरा आयु 58 साल जाति जाटव निवासी कोंडर तहसील व जिला करौली।
2. तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली।
3. उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय 21.07.1982 तहसीलदार करौली बावत् नामा. सं. 278 ग्राम कोंडर तहसील करौली व निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 19.06.2019 प्रकरण संख्या 10/2016 उनवानी शिवसिह वगै. बनाम सियाराम वगै.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपस्थितिः–

1. श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील अपीलान्ट
2. श्री ऐश्वर्य सिंह, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक : 28.04.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 19.06.2019 एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 21.07.1982 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 संख्या 01 के हक में दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813/3 रकवा 5 बीघा भूमि ग्राम कोंडर तहसील करौली का आवंटन किया गया। जिसके तहत ख.नं. 813/3 का गैर खातेदारी नामा. सियाराम के हक में हुआ। दिनाक 11.02.1982 को कोई आवंटन आराजी ख.नं. 854/4 रकवा 5 बीघा का रेस्पो. सं. 1 के हंक में नहीं हुआ है। दिनांक 30.01.1982 को रेस्पो. सं. 3 ने गैर खातेदारान का ख.नं. परिवर्तित करने के आदेश विधि विरूद्व रूप से किये हैं। जिसके तहत ख.नं. 854/4 रकवा 5 बीघा का परिवर्तन नामा. 278 रेस्पो.सं. 2 ने रेस्पो. सं. 1 के हक में किया गया। रेस्पो. नं. 2 व रेस्पो. नं. 3 द्वारा ख.नं. 854/4 किस्म चारागाह भूमि की कोई किस्म परिवर्तन कार्यवाही दिनांक 30.01.1982 या दिनांक 21.07.1982 को राज्य सरकार या जिला कलक्टर करौली से नहीं कराई गई और विधि विरूद्व आवंटन कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपील न्यायालय जिला कलक्टर करौली में की गयी। न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2019 पारित कर अपील अपीलाण्ट विधि विरूद्व तरीके से खारिज कर दी। जिसके विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। रेस्पो. सं. 1 के हक में दिनांक 07.11.1975 को ख.नं. 813/2 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का आवंटन किया गया। जिसके तहत ख.नं. 813/3 का गैरखातेदारी नामान्तकरण सियाराम के हक में हुआ। दिनांक 11.02.1982 को कोई आवंटन आराजी ख.नं. 854/4 का रेस्पो. सं. 1 के हक में नहीं हुआ। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय दिनांक 21.07.1982 एवं 19.06.2019

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पूर्णतया आर्वीट्रेरी है। रेस्पो. सं. 1 को ख.नं. 854/4 रकवा 5 बीघा का कोई आवंटन कभी नहीं किया गया। रेस्पो. नं. 3 को रेस्पो.नं. 1 के हक में ख.नं. 813/4 के स्थान पर ख.नं. 854/4 को गैर खातेदारी नामान्तकरण के तहत परिवर्तित करने का संशोधित करने का अधिकार बिना आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग नहीं हो सकता है। रेस्पो. नं. 2 व 3 द्वारा ख.नं. 854/4 किस्म चारागाह भूमि ग्राम कोंडर तहसील करौली की कोई किस्म परिवर्तन दिनांक 30.01.1982 या दिनांक 21.07.1982 को जिला कलक्टर करौली या राज्य सरकार से नहीं कराई गयी है। दिनांक 30.01.1982 को ख.नं. 813/3 के स्थान पर 854/3 परिवर्तित किया गया है। रेस्पो. सं. 2 द्वारा नामा. संख्या 278 विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को बिना देखे, बिना विवेचन और बिना माइण्ड एप्लाई किये विधि के प्रावधानां के विपरीत पारित किया है।ख. नं. 854/4 चारागाह भूमि है जो कि ग्राम वासियानों की मवेशियों के एवं अपीलान्ट की मवेशियों के चराब की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है। खसरा नम्बर 854 में ही 1 बीघा 12 विस्वा आबादी भूमि भी है जिसमें अपीलान्टस की मकानियत 40 साल पूर्व से पितागण अपीलान्ट के समय से बनी हुई है। धारा 16 आर.टी. एक्ट के तहत चारागाह भूमि में किसी भी व्यक्ति एवं रेस्पोडैन्ट को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न ही चारागाह भूमि आवंटन योग्य होती है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 21.07.1982 बावत् नामान्तकरणसंख्या 278 ग्राम कोंडर तहसीलदार करौली व निर्णय दिनांक 19.06.2019 न्यायालय जिला कलक्टर करौली निरस्त किया जावे एवं ख.नं. 854/4 रकवा 5 बीघा भूमि चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावें।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 813/4 में किया गया है। उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर दूसरे लोगों का कब्जा था। अतः खसरा नम्बर 813/4 के स्थान पर खसरा नम्बर 854/4 पर दिनांक 30.01.1982 का आदेश परिवर्तित किया है। कोरम कमेटी के हस्ताक्षर आदेश पर न होकर पंजिका में होते हैं। आवंटन आदेश के अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। 30.01.1982 को संशोधित आदेश से ही रेस्पोडैन्ट को कब्जा दिया गया है। 1982 से 2016 अपील तक रेस्पोडैन्ट काबिज रहे हैं। अपील में यह नहीं बताई गई कि इतने साल तक अपील क्यों नहीं की गई। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ नहीं मिल सकता है। अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। भूमि यदि चारागाह है भी तो राज्य सरकार की अनुमति

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

से राजपत्र में अधिसूचना से किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की नजीर आरबीजे 2021 पेज 747, आरआरडी 2016 पेज 163 एवं आरआरडी 2016 पेज 587 पेश की।

5. रिवीटल में वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थना पत्र आवंटन खारिज करने की सिफारिश में आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था। संशोधित आदेश दिनांक 30.01.1982 में आवंटन सलाहकार समिति का कोई उल्लेख नहीं है। बिना आवंटन सलाहकार समिति के परिवर्तन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 854/4 का 7 साल बाद खुलवाया गया है। आवंटन पत्र की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 854/4 खारिज किया जावे।

6. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। केवल काश्तकारी अधिनियिम के प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं रैस्पो0 संख्या 01 को दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813/4 आवंटित किया गया था। परन्तु कब्जा खसरा नम्बर 854/4 का दिया गया था। रैस्पो0 को इस तथ्य का पता चलने पर उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ आवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने मौका रिपोर्ट, उपलब्ध रिकार्ड एवं कब्जे के आधार पर रैस्पो0 संख्या 01 को 854/4 में नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। विवादित नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेशो से खोला गया है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 01 के आवंटन को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में 14(4) की कार्यवाही भी पृथक से की गयी है, जो खारिज हो चुकी है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 19.06.2019 व 21.07.1982 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

28.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर